पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority, New Delhi

एलटीसी के अग्रिम अनुदान के लिए आवेदन-पत्र Application form for grant of LTC advance

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम /				
	Name of the Government Servant				
2.	पदनाम / Designation				
3.	केन्द्रीय सरकारी नौकरी में भर्ती की तिथि /				
	Date of entering the Central Government				
	Service				
4.	वेतन+एस आई+एन पी ए / PAY+SI+NPA				
5.	स्थायी अथवा अस्थायी /				
	Whether permanent or temporary				
6.	दस्तावेज के अनुसार गृह नगर /				
	Home Town as recorded in the Service				
	Book				
7.	पत्नी / पति कार्यरत हैं? यदि हाँ तो क्या				
	एल टी सी के अधिकारी हैं /				
	Whether wife/ husband is employed and if				
	so whether entitled to LTC				
8.	गृह नगर की यात्रा के लिए छूट प्राप्ति की				
	गई है तो एल टी सी वापिस किसलिए लेनी				
	है? /				
	Whether the concession is to be availed for				
	visiting home town and if so back for				
_	which LTC is to be availed.				
9.	क. यदि भारत में कहीं भी यात्रा करने के				
	लिए छूट है, स्थान जहाँ जाना है				
	(a) If the concession is to visit anywhere in				
	India, the place to be visited. ख. ब्लॉक जिसके लिए प्राप्ति चाहिए				
	(b) Block for which to be availed.				
10.	पुख्यालय से गृह नगर/स्थान की यात्रा के				
10.	लिए एक लघुतम/छोटा मार्ग रेल				
	किराया / बस किराया /				
	Single rail fare/bus fare from the headquarters to home town/ place of visit				
	by shortest route.				
11.	जिन व्यक्तियों के संबंध में	। एल टी सी का	प्रस्ताव प्राप्त किया गया		
	Persons in respect of whom LTC is proposed to be availed				
	क.सं. नाम / Name	ਰਸ਼ / Age	संबंध / Relationship		
	S. No				
	1.				
	2.				
	1	1			

	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
12.	अग्रिम अपेक्षित राशि /		रूपये	
	Amount of advance required.		Rs.	

घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त ब्यौरा मेरी जानकारी के अनुसार सही है। राशि प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर टिकट उपलब्ध करना मेरा उत्तरदायित्व है।

I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge. I undertake to produce the tickets for the outward within ten days of receipt of the advance.

यात्रा को रद्द करने की दशा में अथवा यदि मैं दस दिनों के अन्दर टिकट जारी करने में असफल रहा, उस अवस्था में सारी अग्रिम राशि एक ही रकम में वापसी का मेरा उत्तरदायित्व है।

In the event o cancellation of the journey or if I fall to produce the tickets within ten days of receipt of advance, I undertake to refund the entire advance in one lump sum.

दिनांक: / Date:	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
	Signature of Government Servant